REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238448 CG-DL-E-29082022-238448

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] No. 208] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

सं. 23/2015-2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.107 (एफटीए/सीईसीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा) में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/01/एएम-22/पीसी-2(ख)/ई-31419.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 43/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 20 जुलाई, 2022 के समकालिक बनाते हुए सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015-20 दिनांक 01.05.2022 के तहत पूर्व में अधिसूचित परिशिष्ट-2 क के अनुलग्नक-IV की शर्त (ण) में संशोधन करते हैं।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना में परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक–IV में शर्त (ण) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
शीष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरॅक्यू प्राधिकार पत्र में नामित एजेंसी/ आईएफएससीए का आयातक निर्यातक कोड (आईईसी), जिस आभूषण विनिर्माता को	उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त प्रशुल्क शीष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आरबीआई (बैंकों के मामलें में) या डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों <u>या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र</u> प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित योग्य ज्वैलस का आयातक निर्यातक कोड (आईईसी), जिस आभूषण विनिर्माता

5795 GI/2022

जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) भी को टीआरक्यू जारी किया जा रहा है, उसकी जीएसटी पहचान शामिल होगी। उक्त टीआरक्यू आयातक सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इंडिया अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उपयोग करने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित योग्य ज्वैलर्स के माध्यम से भारत–यूएई सीईपीए के तहत आईटीसी (एचएस) 71081200 के तहत प्रशुल्क दर कोटा आयात भी प्रभावित हो सकता है।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th August, 2022

No. 23/2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.107 (TRQ under FTA/CECA) of Handbook of Procedure 2015-2020.

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E- 31419.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends condition(o) of Annexure-IV of Appendix-2A notified earlier vide Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022, in sync with Department of Revenue vide Notification no. 43/2022-Customs dated 20th July 2022.

2. In the said Public Notice, Condition (o) in Annexure IV of Appendix 2A, shall be substituted as under:

Existing Provision	Revised Provision
In addition to the requirements as above, the	In addition to the requirements as above, the TRQ
TRQ authorization for items under Tariff	authorization for items under Tariff head 7108, shall also
head 7108, shall also contain Importer	contain Importer Exporter Code (IEC) of the nominated
Exporter Code (IEC) of the nominated	agencies as notified by RBI (in case of banks) or DGFT (for
agency/IFSCA, GST Identification Number	other agencies) <u>or qualified jewellers as notified by</u>
(GSTIN) of the jewellery manufacturer to	<u>International Financial Services Centres Authority (IFSCA)</u> ,
whom TRQ is being issued. The said TRQ	GST Identification Number(GSTIN) of the jewellery
importer shall follow the procedure set out	manufacturer to whom TRQ is being issued. The said TRQ
in the Customs (Import of Goods at	importer shall follow the procedure set out in the Customs
Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.	(Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

Effect of this Public Notice : TRQ imports under ITC(HS) 71081200 under India-UAE CEPA may also be affected through qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority(IFSCA)using the India International Bullion Exchange.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2